राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 09/2019
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2019/00090
दायर दिनांक– 18.02.2019
निर्णय दिनांक– 24.07.2024
उनवानी–

1. श्रीमती सीता देवी पत्नि सूरजभान जाति जाट नि0 ग्राम बुहारू तह0 रूपनगढ़ ......प्रार्थिया

बनाम

1. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि मूलचन्द जाति जाट
2. श्रीमती टोमा पत्नि हीरा जाति जाट
3. नन्दलाल पुत्र हीरा जाति जाट
4. रोडमल पुत्र हीरा जाति जाट
5. सांवरमल पुत्र हीरा जाति जाट
   सर्वनिवासी ग्राम भदूण तह0 रूपनगढ़
6. बैंक आफ बड़ोदा शाखा हरमाड़ा तह0 रूपनगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:

1. श्री शांतिलाल ढेल, अधि0 प्रार्थिया
2. श्री अरविन्द दाधीच अधि0 अप्रार्थी संख्या 2 से 5

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बुहारू पटवार हल्का बुहारू तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या 146 के ख0न0 31, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 478, 479, 480 कुल किता 10 कुल रकबा 58 बीघा 08 बिस्वा है जसमें प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का हिस्सा 1/3 है। प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के हिस्सो का मौके पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि विधिवत नाप चौक करके बंटवारा नहीं हो रखा है। राजस्व रिकार्ड में वाद वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के मध्य विधिक रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में एवं मौके पर बंटवारा नही होने से आये दिन प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के मध्य वाद विवाद, लड़ाई–झगड़ होता रहता है। दिनांक 04.12.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 से 5 तथा उनके परिवारजन ने भूमि पर खड़े हुए पेड़ प्रार्थिया की बिना सहमति के काट लिये। प्रार्थिया ने इस बाबत् एतराज किया तो अप्रार्थीगण आमादा फसाद हो गये तथा एलानियां धमकी देने लगे कि हम जब चाहे जब पेड़ों को काटेंगे तथा जमीन को खुर्द बुर्द करेंगे। प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण को वादअधीन कृषि भूमि का अपासी सहमति से बंटवारा करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने सहमति से विधिवत बंटवारा करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है कि वे प्रार्थिया के हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 प्रार्थिया के वाद अधीन भूमि में उसके 1/3 हिस्सा भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे। प्रार्थिया को उसकी कृषि आराजी में कुएं से सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न नही करे। प्रार्थिया को वादअधीन भूमि में से 1/3 हिस्से से ब्लात् बेदखल नहीं करे, आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करे, पेड़–पौधो को काटकर नही ले जाये। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व उनके परिवारजन, सगे–संबंधी, नौकर, चाकर, एजेन्ट आदि को पाबन्द किये जाने के लिये यह अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादअधीन भूमि प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की संयुक्त कब्जे, काश्त व खातेदारी की है जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 1/3 है। प्रार्थिया खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थिया के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा के अभाव में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 वादअधीन भूमि से प्रार्थिया को ब्लात बेदखल करते है या प्रार्थिया के उपयोग, उपभोग में बाधाकारित करते है या

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:07:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

आराजी में उगे हुए पेड़ पौधो को जबरन काटकर ले जाते है तो प्रार्थिया को अत्यधिक असुविधा होगी तथा प्रार्थिया को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति मुद्रा में नही आंकी जा सकती है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 7 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है व अप्रार्थी संख्या 6 के यहां भूमि रहन होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थिया की ओर से निवेदन है कि वाद वर्णित भूमि में प्रार्थिया के 1/3 हिस्सा भूमि के उपयोग, उपभोग में अप्रार्थी 1 से 5 बाधा उत्पन्न नही करे तथा प्रार्थिया को उसकी कृषि आराजी में कुए से सिंचाई करने में बाधाकारित नही करे। प्रार्थिया को वादअधीन भूमि में उसके हिस्से से ब्लात बेदखल नही करे, वादअधीन भूमि में उगे हुए पेड़–पौधों को काटकर नही ले जावें, वादअधीन भूमि को खुर्द–बुर्द नही करे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 1 से 5, उनके परिवारजन, सगे–संबंधी, नौकर–चाकर, एजेन्ट को पाबन्द करवाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर उनका जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ (अप्रार्थी 7) की ओर से जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया। प्रकरण में वकील प्रार्थिया की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थिया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 प्रार्थिया के हिस्से में निहित आराजी के उपयोग–उपभोग में बाधाकारित करते है तथा प्रार्थिया की बिना अनुमति से पेड़ आदि काटकर ले जाने से प्रार्थिया को क्षति हो रही है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें की वे प्रार्थिया के हिस्से में निहित भूमि के उपयोग–उपभोग आदि में बाधाकारित उत्पन्न नहीं करे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में वकील प्रार्थिया के समस्त कथनों का खंडन करते हुए प्रार्थना–पत्र को भारी हर्जाने से खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रार्थिया द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि व खसरा गिरदावरी आधार संवत् 2072–2075 में खाता संख्या 146 के ख0न0 31, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 478, 479, 480 ग्राम बुहारू संलग्न की है जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड अनुसार निहित है व रिकार्डेड खातेदार सिद्ध है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में स्पष्ट होते है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थिया के हिस्से में दर्ज कृषि आराजी के उपयोग–उपभोग में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा बाधाकारित करने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थिया के पक्ष में स्पष्ट होता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थिया प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तावाद फैसला तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को वादग्रस्त भूमि ख0न0 31, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 478, 479, 480 में प्रार्थिया के हिस्से की भूमि के कृषि उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24·07·2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:07:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)